मध्य प्रदेश शासन
विमानन विभाग
<u>मंत्रालय</u> **<u>स्थाई</u>**

<u>परिपत्र</u>

क्रमांक एफ 9–9/92/पैंतालीस भोपाल दिनांक 22 अगस्त 1994

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश,

विषयः– राज्य शासन द्वारा निर्मित तथा संधारित हवाई पट्टियों के उपयोग की अनुमति।

राज्य शासन द्वारा, प्रदेश में उद्योग तथा पर्यटन विकास की द्रष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि शासन द्वारा निर्मित तथा संधारित हवाई पट्टियों का उपयोग करने हेतु निजी व्यक्तियों/संस्थानों को अपने विमान उस पर उतारने की अनुमति दी जाये। इस संबंध में संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा निम्न शर्तो के अधीन हवाई पट्टियों के उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकती हैः–

1. विमान उतरने के कम से कम 12 घंटे पहले संबंधित जिले के जिलाध्यक्ष को सूचना देना होगी। साथ ही यह भी सूचित करना होना कि विमान कब उतरेगा और कब उड़ान भरेगा।
2. हवाई पट्टी का उपयोग सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच किया जा सकेगा क्योंकि किसी भी हवाई पट्टी पर अंधेरे के बाद विमान उतरने की कोई भी पर्याप्त व्यवस्था नही है।
3. हवाई पट्टी के उपयोग हेतु लैंडिंग पार्किग के रूप में एक बार में दौ सौ रूपये (रू. 200) शुल्क जमा करना होगे, जिसका भुगतान जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेंगा। यह राशि राजस्व प्राप्ति शीर्ष 0070– अन्य प्रशासकीय सेवायें अन्य प्राप्तियॉ मद में चालान से जमा कराई जाये तथा उसकी सूचना इस विभाग का भेजी जाये।
4. यदि किन्ही अपरिहार्य कारण से किसी भी हवाई पट्टी का उपयोग शासन के विभागों के लिए अथवा किसी अति विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग के लिए आवश्यक होता है तो दी गई अनुमति वापिस ली जा सकती है।

   हवाई पट्टी की हालत यदि सुरक्षा की द्रष्टि से ठीक नही हैं तो विमान उतरने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिलाध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

5. विमान के उतरने या उड़ान भरते समय अग्नि शामक यंत्र की व्यवस्था करना होगी तथा विमान तथा सुरक्षा के लिए आवश्यक पुलिस व्यवस्था भी करना होगी।

किसी भी हवाई पट्टी के उपयोग के लिए अनुमति जारी करने के पहले जिलाध्यक्ष यह सुनिश्चित कर लेगें कि हवाई पट्टी विमान के उतरने या उड़ान भरने के लिए उपयुक्त है।

अनुमति देते समय यह लिखित में स्पष्ट कर दिया जायेगा कि हवाई पट्टी का उपयोग पूर्णतः उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी पर होगा और किसी भी दुर्घटना के लिए राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता
(आर.एस. विश्वकर्मा)
उप सचिव
म.प्र. शासन विमानन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 9–9/92/पैंतालीस भोपाल दिनांक 22 अगस्त 1994

प्रतिलिपिः–

1. संचालक, विमानन, मध्यप्रदेश, बैरागढ़, विमानतल परिक्षेत्र, भोपाल।
2. अवैतनिक सचिव, मध्यप्रदेश, फ्लाइंग क्लब, इन्दौर।
3. प्रबंधक, उड़ान अकादमी, 126, कंचनबाग, इन्दौर।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
5. नियंत्रक, उड़ान योग्यता, भारत सरकार भोपाल विमानतल भोपाल।

की और सूचनार्थ संप्रेषित।

हस्ता
(आर.एस. विश्वकर्मा)
उप सचिव
म.प्र. शासन विमानन विभाग